

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन
शासकीय विज्ञान महा. परिसर, रायपुर
छात्रावास क्रमांक - चार, रायपुर (छ.ग.)

अस्थायी प्रमाण पत्र

क्रमांक 4347 तंत्र वि. अ. श. प्र. / 2003

रायपुर, दिनांक:- 10/8/2003
9-9-03

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1) के अन्तर्गत

प्राचार्य/अध्यक्ष अख्य शिक्षण समिति, विनोबा नगर, बिलासपुर छ.ग. १.

के द्वारा दिनांक 20/06/2003 से इस विभाग को वि. वि. अधिनियम 1973 की धारा (1)(5) के अन्तर्गत (महाविद्यालय) लाल बहादुर शास्त्री कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, बिलासपुर जजगीर- में सत्र 2003-2004 में नया आशासकीय महाविद्यालय में / संबंधित महाविद्यालय में निम्नलिखित अतिरिक्त विषयों की कक्षाएं प्रारम्भ किये जाने के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया है:-

प्रावधान / कक्षा / विषय	सत्र	छात्र संख्या
1. विज्ञान तंत्राय-बी. एत. सी. भाग-दो विषय-भा. रा. / गणित/ रसायनशास्त्र/ जीव विज्ञान / वनस्पतिशास्त्र	2003-2004	-
2. एम. ए.-अंतिम- विज्ञान- भूगोल	2003-2004	-
3. एम. ए.-अंतिम- विज्ञान- समाजशास्त्र	2003-2004	-

उक्त आवेदन पत्र निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन दिनांक 20/06/2003 पर विचार करने के उपरान्त यह विभाग समुचित है कि विद्यत परिपद के प्रावधान 26 (1)(5) विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अन्तर्गत पृथक कार्य परिपद के विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधान 24(12) के अन्तर्गत एक वर्ष के लिए अस्थायी अनुमति दी जाये कि यह संस्था के आवेदन पर विचार करें।

अतः यह विभाग यह प्रमाण-पत्र प्राचार्य/अध्यक्ष, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय/समिति को प्रदान करता है, जिससे कि यह विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा - 26(1)(5) के प्रावधानों के अनुसार इस प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करें, आवश्यक शर्तें निम्नानुसार है -

- 2003-2004
- (1) सत्र 2003-2004 से प्रवेश प्रारम्भ करने के पूर्व शैक्षणिक स्टॉक की पूरी व्यवस्था हो।
 - (2) प्रयोगशाला की सम्पूर्ण सुविधाएं प्रवेश प्रारम्भ करने के पूर्व पूर्ण की जाये जिससे सत्र आरम्भ होने पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हो।
 - (3) संस्था विषयीय संसाधनों की जानकारी इस कार्यालय को 1 माह में उपलब्ध कराये तथा इससे आवश्यक प्रमाणित वस्तुवाचे इस कार्यालय को उपलब्ध कराये, तीन वर्षों के अनुमानित बजट प्रस्ताव की जानकारी भी है -